

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० ॥

निगरानी क्रमांक...../17-18

III/निगरानी/सीहोर भू-2/2017/2644

1. सुनीता कौर शाह पुत्री स्व० हरचरण शाह आयु 56 वर्ष।
2. नवदीप शाह सिंह पुत्र स्व० हरचरण शाह आयु 52 वर्ष।
3. ज्योती कौर शाह पुत्री स्व० हरचरण शाह आयु 48 वर्ष।

समस्त जाति सिक्ख पंजाबी निवासी
मकान नंबर 41 तिलक पार्क के पास
सीहोर कृषक ग्राम रामगढ
तहसील इछावर जिला सीहोर।.....निगरानीकर्ता /आवेदकगण

विरुद्ध

1. सर्वसाधारण।
2. श्रीमति ज्ञान कौर पुत्री स्व० सरदार अमरसिंह निवासी 1162 फेस 2 अरबन स्टेट डुंगरी लुधियाना।
3. श्रीमति गुरुचरण कौर पुत्री सरदार अमरसिंह निवासी 128 दांगी स्टेट सीहोर म०प्र०।
4. श्रीमति सुरजीत कौर पुत्री सरदार अरमरसिंह निवासी 110 विद्या नगर इंदौर म०प्र०।
5. कुलदीप सेठी आ० स्व० सरदार अमरसिंह सेठी का बगीचा स्टेशन रोड सीहोर
6. कृपालसिंह आ० सरदार अमरसिंह निवासी मंडी श्यामपुर रोड सीहोर।
समस्त कृषक ग्राम रामगढ
तहसील इछावर जिला सीहोर।.....रेस्पॉण्डेन्ट्स/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता विरुद्ध
पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 पारित द्वारा
तहसीलदार महोदय इछावर प्रकरण क्रमांक
17/अ6/14-15 सुनीता कौर आदि विरुद्ध
सर्वसाधारण आदि।

आवेदनिका 10/8/17
को मर निवेदन आदि-
अमरसिंह अथवा अथ-
उर प्रभु
10/8/17
रीट

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

96

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

III/निगाहसीट/अ.सं/17/2641

सुनील/निगाहसीट


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर

18/01/19

आवेदक की ओर से श्री निगाहसीट द्वारा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार -S-2641 के प्रकरण क्रमांक 17/32-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 26-7-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला -सीट के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सीट के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


सदस्य

